

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-०५/स्था०(डी०टी०ओ०)-३०/२०१३...../परि०

पटना, दिनांक.....

परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-९३५ दिनांक १६.०२.२०१४ द्वारा करारोपण पदाधिकारी, दालकोला चेकपोस्ट, पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित श्री अरविन्द मंडल को मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा २१३(१) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम १९९४ की धारा-३ में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियाँ के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक १८/११/२०१४

निबंधित/ई-मेल

ज्ञापांक - ०५/स्था०(डी०टी०ओ०)-३०/२०१३ ६३०१

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/संयुक्त आयुक्त-सह-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियाँ/श्री अरविन्द मंडल, करारोपण पदाधिकारी, दालकोला चेकपास्ट, पूर्णियाँ/श्री अनिल कुमार दास, बि०प्र०से, वरीय उपसमाहर्ता, पूर्णियाँ/मोटरयान निरीक्षक, पूर्णियाँ/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर कम्प्यूटर कोषांग/प्रभारी सहायक स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१८/११/१४

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना